मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 8 जुलाई, 2009 (आषाढ़ 17, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री खनिज साधन, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड की 46 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2007-2008 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील को डी.पी.ए.पी. में शामिल न किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अरविंद सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड जिले के दस्यु प्रभावित ग्रामों को राजस्व रिकार्ड में शामिल न करने से विकास योजनाओं का लाभ न मिलने की ओर राज्यमंत्री राजस्व का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्रीमती अर्चना चिटनीस, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 9 सन् 2009) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री वन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार-विनियमन) संशोधन विधेयक
30 मि. 2009 (क्रमांक 8 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा .... (क्रमशः)

प्रदेश में जल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 7 जुलाई, 2009